उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-77/2015/2148/तीस-3-15-67एम/2015
लखनऊ: दिनॉक 10 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

परिवहन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-23/543/30-3-15-78एम/2014, दिनॉक 13.03.2015 द्वारा गठित मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति, मुरादाबाद में एतदद्वारा श्री हाजी निजामुद्दीन पुत्र श्री हाजी नन्हें, निवासी मोहल्ला-शेखान दक्षिणी, वार्ड न0-21, कस्बा नहटौर, जिला बिजनौर को राज्य सरकार द्वारा सदस्य नामित किया जाता है।

2- श्री हाजी निजामुद्दीन को मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु कोई विशेष सुविधा जैसे-वेतन भत्ता/यात्रा व्यय आदि सुविधा देय नहीं होगी।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-77/2015/2148(1)/तीस-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
3- जिलाधिकारी, बिजनौर।
4- श्री हाजी निजामुद्दीन पुत्र श्री हाजी नन्हें, निवासी मोहल्ला-शेखान दक्षिणी, वार्ड नं0-21, कस्बा नहटौर, जिला बिजनौर- 246733
5- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।